# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 49/21

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1नरेन्द्र कुमार संकलेचा पुत्र विक्रमचंद जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर। फर्म–मैसर्स नाकोडा लघु गृह उद्योग सेन्टर, गोगेलाव बाईपास, बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर। 2विनोद देवी संकलेचा पत्नी नरेन्द्र कुमार संकलेचा जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर। फर्म–मैसर्स नाकोडा लघु गृह उद्योग सेन्टर, गोगेलाव बाईपास, बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर। 3 फर्म–मैसर्स नाकोडा लघु गृह उद्योग सेन्टर, गोगेलाव बाईपास, बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर। |

दिनांक :12.03.2022

## आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17-02-2021 को मैसर्स नाकोडा लघु गृह उद्योग सेन्टर, गोगेलाव बाईपास बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर पर खाद्य पदार्थ आम का आचार (अपना आचार ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1505 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/78/एक्ट/2021/50 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ आम का आचार (अपना आचार ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार संकलेचा पुत्र विक्रमचंद जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर, विनोद देवी संकलेचा पत्नि नरेन्द्र कुमार संकलेचा जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर तथा मैसर्स नाकाडो लघु गृह उद्योग सेन्टर गोगेलाव बाईपास बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस. ए. 2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 05-10-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 16.12.2021 को श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश किया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण ने दिनांक 12.03.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से सील बंद आम का आचार लिया जो लैब अजमेर द्वारा मिसब्राण्ड होना पाया गया था। मैं अच्छी किस्म का आचार बनाकर बेचता हूं। सभी तरह का नियम आदि पालन करता हूं। इस मुकदमे में कोई भी कमी हो गई जिसमें मैनें सुधार कर लिया है। अब मैं भविष्य में आचार की गुणवता का ध्यान रखूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत** में सुनवाई हेतु आज रखी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/78/एक्ट/2021/50 दिनांक 26.02.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ आम का आचार (अपना आचार ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1. नरेन्द्र कुमार संकलेचा पुत्र विक्रमचंद जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर, अप्रार्थी संख्या 2. विनोद देवी संकलेचा पत्नि नरेन्द्र कुमार संकलेचा जाति जैन निवासी हीरावाडी तहसील व जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 3. मैसर्स नाकाडो लघु गृह उद्योग सेन्टर गोगेलाव बाईपास बिहाईण्ड दादाबाडी, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)